किसान (कृषि उत्पाद लाभकारी मूल्य गारंटी) अधिकार बिल, 2017: सारांश

यह बिल सभी किसानों को कृषि उत्पाद की बिक्री पर निश्चित लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत किसानों को आश्वासित न्यूनतम मूल्य सुरक्षित करने के लिए विधायी प्रावधान हैं।

भाग I: परिभाषा

1. "कृषि" में बागवानी, खेती और औषधीय पौधों, फसलों, फलों, सब्जियों, दूध उत्पादन, वन उत्पादों का संग्रहण, फूल, चारा के लिए घास और पेड़, नर्सरी, मछली, मधुमख्खी, रेशम कीट, मुर्गी पालन, बत्तख, सूअर सहित मवेशियों का सहित कृषि पशुओं की खेती और कृषि संबद्ध गतिविधियों या किसी अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करना शामिल है।
2. "किसान" का अर्थ है एक व्यक्ति जो आर्थिक कार्यकलापों और / या आजीविका के लिए सक्रिय रूप से फसल उगाने की गतिविधि में लगा हुआ है, या भूमि स्वामित्व के साथ या बिना, अन्य प्राथमिक कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसमें सभी जमीन के मालिकाना हक वाले किसानों, कृषि श्रमिकों, पट्टेदार किसान , किरायेदारों, कुक्कुट और पशुधन के पुनर्विक्रेताओं, मछुआरों, मधुमक्खी पालन, पशुचारियों, गैर-कॉरपोरेट प्लांटर्स और रोपण मजदूरों के साथ-साथ वन-संग्रहकर्ता भी शामिल हैं। सामूहिक रूप से स्वामित्व, या पट्टे की भूमि पर खेती करने वाले स्वयं सहायता समूह शामिल हैं
3. "आयोग" का अर्थ कृषि लागत और मूल्य आयोग है। इसके लिए किसानों के उपज की लागत और उत्पादों के मूल्य तय करना अनिवार्य होगा। 11 सदस्यों वाले आयोग में क्षेत्र, सेक्टर, महिला किसान, समेत सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा।
4. "राज्य आयोग" का मतलब है देश के विभिन्न राज्यों में कृषि लागत और मूल्यों पर राज्यस्तरीय आयोग की स्थापना। जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित एएमपी की तुलना में उच्च मूल्य की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र होने के साथ कानून के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा।

भाग II: किसानों को सभी कृषि उत्पादों पर न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने का अधिकार

1. कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य प्राप्त करना किसानों के विधायी अधिकार के रूप में दिया गया है.
2. इस अधिनियम के तहत सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की अनुसंशा पर किसानों द्वारा उत्पादित सभी कृषि वस्तुओं के उत्पादन की लागत के अनुमान की व्यवस्था करेगी; इसमें सभी मौसमी फसलों के साथ-साथ बागान फसलों, सब्जियां और फलों, दूध, के साथ-साथ वनोत्पाद भी शामिल है।
3. उन वस्तुओं के लिए, जिनके लिए वर्तमान में लागत मूल्य के अनुमान की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है, सरकार ऐसी प्रणालियों को स्थापित करने के लिए व्यवस्था बनाएगी जो समय-समय पर लागत के आंकड़े इकट्ठा किया करेंगे।
4. लागत का अनुमान सभी भुगतान पर किए गए खर्चों, आरोपित लागत, मजदूरी पर व्यय की गणना, पारिवारिक श्रम और प्रबंधकीय लागतों के साथ व्यापक रूप से किया जाना है। इसकी समय-समय पर समीक्षा होगी और कार्यान्वयन में सुधार भी अपेक्षित होगा।

5. सीएसीपी न्यूनतम मूल्य (MSP, or ARP) की सिफारिश सभी कृषि-वस्तुओं के लिए उत्पादन की व्यापक लागत के मुकाबले कम से कम 50% लाभ मार्जिन के साथ करेगा।
6. कुछ फसलों के मामले में, आयोग को लागत अनुमानों के ऊपर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान कर अनुसंशा करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।
7. खरीफ फसल के लिए हर साल 31 मार्च और रबी के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 अगस्त तक इस तरह की कीमतें घोषित की जाएंगी।

भाग III : केंद्र की कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

1. अध्यक्ष सहित 11 सदस्यों को शामिल करने के साथ मौजूदा आयोग का विस्तार किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं।
2. इस तरह बने आयोग के सदस्य निम्नवत होंगे: कृषि विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी, 5 किसान प्रतिनिधि, 3 कृषि विशेषज्ञ, 1 सदस्य सचिव.
3. आयोग में अलग-अलग प्रदेशों, क्षेत्रों के आधार पर सभी वर्गों के किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। महिला किसानों को भी शामिल किया जायेगा.
4. आयोग के कार्यों में पारदर्शिता लाने, एवं निहित स्वार्थों की निगरानी के लिये उचित प्रावधान किए जाएंगे
5. इस तरह गठित सीएसीपी में निम्न शक्तियां निहित होंगी-

- यह 50% लाभ मार्जिन के साथ सभी कृषि उत्पादों के लिए आश्वासित मूल्य (ARP) की अनुसंशा करेगा।
- आयोग सभी उपायों की सिफारिश करेगा जो किसानों के लिए स्थिर और लाभप्रद मूल्य का परिवेश आश्वस्त करता हो। इसमें बाज़ार संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार शामिल हैं।
- सभी आयात-निर्यात की नीतियों पर परामर्श की शक्ति हासिल होगी ताकि आयोग के अध्यक्ष विशेषज्ञों की सलाह पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके। वाणिज्य मंत्रालय आयात-निर्यात का निर्णय न्यूनतम मूल्य पर प्रतिकूल असर को देखते हुए करे।

भाग IV: कृषि लागत एवं मूल्य के लिए राज्य आयोग

1. राज्य आयोग का गठन भी केंद्र के सीएसीपी जैसा होगा।
2. कार्यों और शक्तियों में, यह राज्य आयोग केन्द्र द्वारा घोषित आश्वासित मूल्य पर बोनस दे सकता है (उत्पादन की लागत या विशेष फसलों को प्रदान किए जाने वाले किसी भी नीति प्रोत्साहन के आधार पर). यह बाज़ार मूल्य की निगरानी करेगा और भावान्तर भुगतान का आदेश दे सकेगा. कर्तव्यों का निर्वहन में सार्वजनिक अधिकारियों की विफलता की जांच कर सकता है. राज्य आयोग CACP को अपनी अनुशंसा भेज सकता है.

भाग V: कार्यान्वयन

1. APMC समेत सभी कृषि मंडियों/ बाजारों में उत्पादों की बिक्री घोषित न्यूनतम मूल्य से ऊपर होगी। किसी भी उत्पाद की नीलामी निश्चित किये गए न्यूनतम मूल्य से नीचे नही होगा।
2. कोई भी खरीदार कृषि उत्पाद की खरीद न्यूनतम मूल्य से नीचे नहीं करेगा। निश्चित न्यूनतम मूल्य से

कम पर खरीद करने वाले खरीदार के विरुद्ध राज्य के विपणन विभाग के नामित अधिकारी अभियोजन पक्ष की कार्यवाही की शुरुआत करेगा।

3. सरकार कृषि उत्पादकों को संगठित करने के साथ आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण, उद्यमिता को प्रोत्साहित, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने आदि के लिए प्रारंभिक पूंजी का निवेश करेगा.
4. सरकार अपनी खाद्य योजनाओं के तहत और अधिक मात्रा में सभी उत्पादों की खरीद के लिए पर्याप्त खरीद केंद्र खोलने के लिए बाध्य है।
5. किसानों को मज़बूरी में कम दाम पर उपज बेचना न पड़े इसके लिए सरकार सभी अनाजों के लिए स्टोरेज का प्रबंध करेगी. ऐसे में अनाज के मूल्य का 75% तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा.
6. सरकार प्रभावी वित्तीय हस्तक्षेप की योजनाओं को चलाने के लिए बाध्य है, जिसमे वित्तीय समयोजन भी शामिल होगा।
7. सरकार कृषि लागत के नियंत्रण, निगरानी और सब्सिडी देकर इनपुट लागत कम करने को बाध्य होगा।
8. आश्वासित मूल्य का लाभ वास्तविक किसान को मिले.

भाग VI: शिकायत निवारण और नुकसान की भरपाई

1. कोई भी किसान जिसे उत्पाद के बेचने पर आश्वासित न्यूनतम मूल्य प्राप्त नही होता है, भावन्तर की राशि प्राप्त करने का हक़दार होगा।
2. जिला स्तर की 3 सदस्यीय समिति कृषि उत्पाद के मूल्यों की निगरानी करने के साथ किसान की व्यक्तिगत समस्याओं/ शिकायतों की सुनवाई करेगा। इस समिति का गठन बाज़ार, कृषि विभाग, और किसानों के प्रतिनिधि को शामिल कर किया जाएगा।
3. भावन्तर के भुगतान को लेकर बनाई गई समिति किसान की पहचान के लिये सरल और आसान प्रकिया अपनाएगी। एक तय अवधि के भीतर भुगतान देना की निर्धारित किया जाएगा।
4. किसी उत्पाद के लिए अगर औसत बाज़ार मूल्य, निश्चित न्यूनतम मूल्य से कम होता है तो समिति भावन्तर की अनुसंशा कर भुगतान करेगी।
5. समिति द्वारा किसान को सहयोग न मिलने की स्थिति में वह नुकसान भरपाई की शिकायत को लेकर राज्य आयोग जा सकता है।

भाग VII: नियमों के उल्लंघन पर दण्ड के प्रावधान

1. कोई भी व्यापारी इस बिल के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन करता हो, या ARP से नीचे पर खरीदारी का दोषी पाया जाता हो तो उसपर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
2. दुबारा उल्लंघन पर ₹2 लाख का जुर्माने लगाया जा सकेगा।
3. जबकि तीसरी बार उल्लंघन पर 2 लाख के जुर्माने के साथ लाइसेंस जब्त करने के प्रवधान हैं।
4. ससमय और पर्याप्त संख्या में सरकारी कृषि उत्पाद खरीद केंद्र के न होने पर राज्य और केंद्र सरकार के एग्री-मार्केटिंग विभाग के सर्वोच्च अधिकारी या किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी को कृषि मूल्य जांच पर राज्य आयोग के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार पाया, 50,000 रुपये

तक की जुर्माने की सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

भाग VIII: केंद्र और राज्य सरकार के कर्तव्य/दायित्व

1. केंद्र सरकार को कृषि लागत एवं मूल्य के सटीक अनुमान के लिए अलग से धनराशि मुहैया करानी चाहिए।
2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुसंशा के बाद सरकार को यथसंभव तुरंत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए।
3. सभी बाजारों/ मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद मूल्य पर निगरानी, भाग IV में वर्णित प्रावधानों के कार्यान्वयन और भाग V को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली समय सीमा के भीतर विकसित किया जाना चाहिए।
4. 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन के साथं ARP फण्ड बनाया जाए। साथ ही मौजूदा खाद्य योजनाओं के तहत खरीदे जाने वाला कृषि उत्पाद के लिए अलग से राशि आवंटित हो। ARP फण्ड की राशि जिला स्तरीय समिति की अनुसंशा पर भावन्तर भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाए। भावन्तर का भुगतान सीधा लाभ अंतरण के माध्यम से एक महीने में किया जाए।
5. राज्य सरकार भी अलग से फण्ड बनाकर राशि का आवंटन करे। जो केंद्र सरकार की घोषणाओं के बाद भी ARP को स्थिर रखने का काम करेगा।